दिनांक	टी०ए० मिस केस सं० 114/2019-20 आदेश	अभ्युक्ति
16-09-19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक रामचन्द्र हेम्ब्रम, पिता– स्व0 कुन्डिया हेम्ब्रम, ग्राम– **बारीपी**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– बारीपी, थाना– 65, खाता नं०– 13, प्लॉट नं०– 308, रक्बा– 0.68 एकड़ भूमि क्रेता **प्रीति देवगम**, पिता– **श्री निरोज देवगम**, ग्राम– **बासा टोन्टो**, थाना– **मुफ्फसिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, **खुँटपानी** से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दारत्तावेज प्रस्तुत किया गया। दारत्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम पर खतियान में दर्ज है।आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।** अंचल अधिकारी, **खुँटपानी** का जॉच प्रतिवेदन पत्रांक– 1080, दिनांक–. **06.08.2019** द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान वनाने एंव खेती हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **प्रीति देवगम**, पिता– **श्री निरोज देवगम**, ग्राम– **बासा टोन्टो**, थाना– **मुफ्फसिल**, के पास 1,43,000.00/–(एक लाख तिरालीस हजार) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना **मुफ्फासिल** के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 5.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, **खुँटपानी** एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक **रामचन्द्र हेम्ब्रम**, पिता– **स्व0 कुन्डिया हेम्ब्रम**, ग्राम– **बारीपी**, क्रेता **प्रीति देवगम**, पिता– **श्री निरोज देवगम**, ग्राम– **बासा टोन्टो**, थाना– **मुफ्फसिल** के पास 1,43,000.00/–(एक लाख तिरालीस हजार) रूपये मे मौजा– **बारीपी**, थाना– 65, खाता नं०– 13, प्लॉट नं०– 308, रक्वा– 0.68 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....अनुमति.... दी जाती है। लेखापित। (हस्ताक्षर) 16/9 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। (हस्ताक्षर) 16/9/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner